मा0 मुख्यमंत्री संदर्भ/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-24/2018/696/18-2-2018-97(ल0उ0)/2016

प्रेषक,

रवीश गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन। (वित्त विभाग को छोड़कर)

2- आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 18 जुलाई, 2018

विषय- शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-23/2018/वी0आई0पी0-20/18-2-2018-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2018, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अपने विभागों में पंजीकृत प्रायमरी एवं सेकेण्डरी यूजर्स की सूची उनके नाम, पद नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिनांक 12 जुलाई, 2018 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है संदर्भगत पत्र द्वारा यथावांछित सूचना अभी तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग में प्राप्त नहीं हुयी है। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। **प्रकरण में मा0 मुख्यमंत्री जी को शीघ्र ही वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना है।**

3- उपर्युक्त के संबंध में आप अवगत हैं कि शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को राज्य सरकार ने शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है और इसके क्रियान्वयन हेतु संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-13/2018/203/18-2-2018-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 27 अप्रैल, 2018 द्वारा शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु गठित जेम सेल के कार्मिकों का विवरण उनके ई-मेल/मोबाइल नम्बर तथा उन्हें आवंटित विभागों की सूची उपलब्ध कराते हुये आपसे यह अपेक्षा की गयी है कि अपने अधीनस्थ विभागों / कार्यालयों/निगमों/प्राधिकरणों/संस्थानों व अन्य इकाईयों के संबंधित प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी के सापेक्ष कम से कम दो यूजर (प्रायमरी या सेकेण्डरी) का जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करते हुये जेम पोर्टल से ही आवश्यक सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने एवं अपने विभाग से संबंधित जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रायमरी यूजर/सेकेण्डरी यूजर की सूचना प्रारूप-1 पर संकलित करते हुये गत माह की 25 तारीख से चालू माह की 24 तक की सूचना प्रारूप-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2 पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को चालू माह की अंतिम तारीख तक उपलब्ध करायी जाय।

4- अत: इस संबंध में मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया संदर्भगत शासनादेशों के अनुसार अपने विभागों में पंजीकृत प्रायमरी एवं सेकेण्डरी यूजर्स की सूची उनके नाम, पद नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित 03 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत सर्वोच्च प्राथमिकता अपेक्षित है।**

भवदीय,

(रवीश गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रभारी, जेम सेल, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि यथावांछित सूचना संबंधित विभागों से प्राप्त कर संकलित सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।